न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 76/2015 जीसीएमएस नम्बर 2021/188

1. रामनारायण पुत्र स्व0 भंवर लाल मीणा निवासी ग्राम गैजी, तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोपाल पुत्र स्व0 अर्जुन मीणा—**मृतक**
   1/1. छीतर
   1/2. हनुमान
   1/3. सकराम
   पुत्रान स्व0 गोपाल मीणा नि0 गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर।
   1/4. मु0 तीजा पत्नि स्व. गोपाल (नाम हजफ आदेश दिनांक 29.06.22)
   1/5. श्रीमती प्रेम देवी
   1/6. श्रीमती पांची देवी
   1/7. श्रीमती बिरधी
   पुत्रियां स्व0 गोपाल, समस्त जाति मीणा नि0 गैजी, तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)
2. काना पुत्र स्व0 अर्जुन मीणा
3. सत्यनारायण पुत्र स्व0 भंवर लाल मीणा
4. श्रीमती प्रेम पत्नि कालूराम मीणा
5. नाथू पुत्र स्व. किशना मीणा
   निवासी ग्राम गैजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
6. मु0 सायर पत्नि स्व0 बजरंग मीणा, निवासी बान्दर—सिन्दरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज0)
7. मु0 सजना
8. श्रीमती कल्ली
9. श्रीमती बोदी
   पुत्रियां किशना मीणा, निवासी ग्राम मानपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर (राज.)
10. श्रीमति मंजू पुत्री स्व0 किशना मीणा निवासी बान्दर—सिन्दरी तहसील किशनगढ, जिला अजमेर (राज0)
11. मु0 सुवा पत्नि स्व. सूरज करण मीणा
    12/1. मु0 बादाम पत्नि स्व0 जगदीश मीणा
    12/2. श्रीमति ममता पुत्री स्व0 जगदीश मीणा
    12/3. रमेश पुत्र स्व. जगदीश मीणा
    12/4. प्रहलाद पुत्र स्व. जगदीश मीणा
13. बंशी
14. हरी
15. राधेश्याम
    समस्त पुत्रान स्व. सूरज करण मीणा निवासी ग्राम गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)
    16/1. श्रीमती रेखा
    16/2. श्रीमती संतरा
    16/3. श्रीमती माया
    16/4. श्रीमती आचुकी
    समस्त पुत्रिया स्व0 बद्री निवासी ग्राम गैजी, तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)
17. रामजीलाल पुत्र स्व. सूरज करण
18. श्रीमति कमला पत्नि सीताराम मीणा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

19. श्रीमति सम्पति पत्नि लालाराम मीणा
निवासी ग्राम छाप्या तहसील दूदू जिला जयपुर (राज0)
20. लालाराम पुत्र स्व0 भंवर लाल मीणा
21. कालूराम
22. जय कुमार
23. छोटूराम
24. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.04.2015 (अंकित निर्णय दिनांक 07.04.2014) न्यायालय–तहसीलदार, तहसील दूदू बाबत नामान्तरण संख्या 184 ग्राम गैजी दिनांक 01.02.1970 यथावत रखने

उपस्थित–

1. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री मदन लाल मीना, वकील रेस्पो. नं. 1 लगायत 11, 12/3 लगायत 16/3 एवं 16/4 लगायत 23 की ओर से
3. श्री मुकेश मीना वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1/1 से 1/3 एवं 12/1 की ओर से
4. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1/5 से 1/7 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक –06.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (डी) के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 07.04.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू ने निर्णय दिनांक 27.11.2014 में तहसीलदार दूदू को आदेश दिए गये कि नामान्तरण संख्या 184 दिनांक 01.02.1970 विधि विरूद्ध तस्दीक होने से निरस्त किया जाता है एवं अंकित निर्णय व डिक्री के वि ाय में दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2015 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 184 के कालम नं. 5 में अंकित खातेदार के स्थान पर कालम नं. 11 में दर्ज अंकन सूरजकरण पुत्र अर्जून मीना नि. गैजी हि. 1/5 व भुरा पुत्र अर्जुन मीना बदस्तुर होना स्वीकार करने के आदेश पारित किये गये।
3. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 07.04.2015 से व्यथित होकर अपीलांट रामनारायण पुत्र भंवर लाल मीणा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तहसील दूदू के आदेश दिनांक 07.04.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू ने निर्णय दिः 27–11–2014 में तहसील दूदू को आदेश दिए हैं कि नामान्तरण सं0 184 दिः 01–02–1970 विधि विरूद्ध तस्दीक होने से निरस्त किया जाता है एवम् अंकित निर्णय व डिक्री के विषय में दोनों पक्षो को सुनकर नामान्तरण की कार्यवाही करें, फिर भी निर्णय अधीन अपील में नामान्तरण सं० 184 को यथावत कायम कर तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कार्य किया है। भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 121 (3) के अन्तर्गत यह बाध्यकारी प्रावधान हैं कि जिस नामान्तरण को पटवारी हलका भरे, उसकी गिरदावर पूर्व व वर्तमान राजस्व रेकार्ड से तुलना करके जांच कर टिप्पणी अंकित करे, जिनकी निर्णय अधीन अपील में पालना न कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य किया है। निर्णय उपखण्ड अधिकारी दूदू दिः 27–11–2014 में अंकित रेस्पोडेन्ट क्रम 17 जगदीश मीणा का निर्णय अधीन अपील पारित करने से पूर्व स्वर्गवास हो गया है, जिसके कायम–मुकामान की न तो कार्यवाही की गई है, न उन्हें नोटिस दिया है, जिस कारण निर्णय अधीन अपील निरस्तनीय है। निर्णय अधीन अपील दिः 07–04–2015 में अंकित सरपंच व उप–सरपंच की अनुपस्थिति में रामदेव बलाई का कार्यवाहक सरपंच होना स्वीकार कर योग्य अधीनस्थ न्यायालथ ने निहित क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। निर्णय अधीन अपील में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिः 27.11.2014 में अंकित आधारों पर गोर किए बिना निर्णय अधीन अपील पारित कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य किया है। निर्णय अधीन अपील में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी पक्षकारान को जवाब, सबूत व सुनवाई के अवसर न देने से निर्णय अधीन अपील इ पदजपव दनसस दक अवपक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर निर्णय दिः 07.04.2015 न्यायालय तहसीलदार तहसील दूदू अधीन अपील निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

6. रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के निर्णय दिनांक 27.11.2014 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि विवादित भूमि वाके ग्राम गैजी, वर्तमान तहसील दूदू के बाबत तात्कालिक ग्राम पंचायत दांतरी के पंच श्री रामदेव द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 01.02.1970 को विधि विरूद्ध तस्दीक होने के कारण निरस्त किया जाता है। तहसीदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.1970 एसडीओ सांभरलेक के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अपीलान्ट की विरासत बाबत अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला जयपुर ने दोनों पक्षकारान एवं ग्राम पंचायत दांतरी को नोटिस जारी किये गए। तहसीलदार दूदू ने सभी पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 07.04.2015 पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 184, ग्राम. दांतरी को तस्दीक करने को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के निर्णय दिनांक 27.11.2014 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि विवादित भूमि वाके ग्राम गैजी, वर्तमान तहसील दूदू के बाबत तात्कालिक ग्राम पंचायत दांतरी के पंच श्री रामदेव द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 01.02.1970 को विधि विरूद्ध तस्दीक होने के कारण निरस्त किया जाता है। तहसीदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.1970 एसडीओ सांभरलेक के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनकर नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अपीलान्ट की विरासत बाबत अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला जयपुर ने दोनों पक्षकारान एवं ग्राम पंचायत दांतरी को नोटिस जारी किये गए। ग्राम पंचायत दांतरी ने जवाब में अवगत कराया कि तत्समय सरपंच श्री उमराव मल जैन की मृत्यु होने एव उपसरपंच श्री जगदीश प्रसाद सोनी को गबन के आरोप में बरखास्त कर देने के कारण ग्राम पंचायत की कोरम की सहमति से रामदेव बलाई पंच को कार्यवाहक सरपंच का पद दिया गया था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी गणों द्वारा नामा. के विपरित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

जिससे उक्त नामान्तरकरण माननीय न्यायालय सांभरलेक के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.1968 के अनुरूप दर्ज होना पाये जाने के कारण उक्त नामान्तरकरण संख्या 184 में किसी भी प्रकार संशोधन करना उचित नहीं पाते हुये नामान्तरकरण संख्या 184 के कालम नं 5 में अंकित खातेदार के स्थान पर कॉलम नं. 11 में दर्ज अंकन सूरजकरण पुत्र अर्जून मीना नि. गैजी हि.1/5 व भूरा पुत्र अर्जून मीना बदस्तूर होना स्वीकार होने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.04.2015 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर